न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

बीबी तहरण बनाम अमरूण मियाँ वगै०
वाद संख्या –161/2023
धारा – 144 द०प्र०सं०

देश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22.1.24	**आदेश** आदेशार्थ अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष– बीबी तहरण, पति सफजल अंसारी साकिन शाखाबारा, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह के द्वारा द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत विवादित भूमि मौजा– विशुनपुर, थाना– बिरनी, थाना नं०– 127, खाता नं०– 08, प्लॉट नं०– 07, रकवा– 07 डिसमिल चौहद्दी : उ०– हलिम मियाँ, द०– खुशी महतो, पु०– रामु यादव, प०– सरकारी सड़क में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा प्रवृत करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। ओ० पी० प्रभारी भरकट्टा (बिरनी थाना) के ज्ञापांक 05/2023 दिनांक 23/11/2023 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष (1) अमरूण मियाँ, पिता– स्व० नबी मियाँ, (2) अबुल ताहिर, पिता– स्व० आलम मियाँ दोनों साकिन शाखाबारा (3) असगर मियाँ, पिता– अजीज मियाँ (4) मंजुर मियाँ, पिता– अजीज मियाँ (5) गोनी मियाँ पिता– अजीज मियाँ तीनों साकिन कंल्याणपूर, थाना– बिरनी, ओ० पी० भरकट्टा जिला– गिरिडीह को द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत विवाद ग्रस्त जमीन पर जाने अथवा उस पर कोई कार्य करने से दिनांक 24/11/2023 से प्रतिबंधित किया गया। उभय पक्ष को यह भी आदेशित किया गया कि दिनांक 7/12/2023 को अधोहस्ताक्षरी के	

न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करें।

निर्धारित तिथि को उभय पक्ष उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी गण के द्वारा द०प्र०सं० 144 के तहत प्रवृत निषेधाज्ञा का उल्लंघन का हवाला देते हुए भा०द०वि० की धारा 188 के तहत कार्यवाई की माँग की गई। अंचल अधिकारी बिरनी के द्वारा पत्रांक– 1030 दिनांक 30/11/2023 द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त उक्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से विवाद विद्यमान रहने की पुष्टि हुई। पुनः द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा का लिखित जबाब दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि मामले में *Civil Suit* व्यवहार न्यायालय में दाखिल किया गया है अतः मामले को खारिज कर देना चाहिए। भा०द०वि० 188 के तहत ओ० पी० प्रभारी भरकट्ठा तथा अंचल अधिकारी बिरनी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

प्रथम पक्ष के द्वारा कागजात दाखिल कर बतलाया गया कि उक्त भूमि उनकी खरीदगी जमीन है जिसका दाखिल खारिज होकर मालगुजारी रसीद भी निर्गत हो रहा है। वहीं विपक्षी गण के द्वारा कारण पृच्छा का जबाब दाखिल कर बतलाया गया कि उक्त जमीन उनको खरीदगी से हासिल है। जिसका रकवा 16 डी० है, साथ हीं एक एकरारनामा के द्वारा भी द्वितीय पक्ष को $6\frac{1}{2}$ डी० जमीन हासिल है। अर्थात विपक्षी गण को उक्त खाते तथा प्लॉट में $22\frac{1}{2}$ डी० जमीन हासिल है। उक्त $22\frac{1}{2}$ डी० जमीन पर द्वितीय पक्ष की जमाबंदी कायम है तथा वे काबिज दखलकार भी है। द्वितीय पक्ष के द्वारा यह भी बतलाया गया कि प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त जमीन पर व्यवहार न्यायालय में *original suit NO.*31/2021 दाखिल किया गया है जिसमें द्वितीय

STRICT BAR ASSOCIATION GIRIDIH.

पक्ष को पक्षकार बनाया गया है।

उपरोक्त दाखिल कारण पृच्छा रिकार्ड पर उपलब्ध कागजात तथा विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उपरोक्त विवाद स्वत्व से संबंधित है तथा स्वत्व निर्धारण के लिए सक्षम न्यायालय में वाद लाया गया है अतः इस मामले में अंतिम आदेश पारित कारण न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। साथ हीं भा०द०वि० की धारा 188 की जाँच प्रतिवेदन थाना प्रभारी तथा अंचल अधिकारी से प्राप्त है जिसमें निषेधाज्ञा उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है।

अतः वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/1/24

अनुमंडलदण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

22/1/24

अनुमंडलदण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 12:58:58 +05:30
Location: 192:168.1.9